10 रु COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार
11 DEC 2017

(20)

भुमी ग्राम खरसोडा तह व जिला धार म0प्र0।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0।

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6308

बाबुलाल पिता नाथुलाल जाति ब्राहम्मण उम्र 70 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम खरसोडा तह व जिला धार म0प्र0।---- निगरानीकर्ता

बनाम

---- रेसपाण्डेंट्

म0प्र0 शासन

:: निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 अनुसार ::

" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील धार जिला धार द्वारा अपने राजस्व प्रकरण कं– 1/अ–68/2015–16 म0प्र0 शासन द्वारा पटारी हाजा खरसोडा बनाम बाबुलाल मे पारित आदेश दिनांक 06-11-17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। "

मान्यवर महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता मुल प्रकरण के प्रतिप्रार्थी तर्फे अत्यत नम्रता से निवेदन है, कि :–

:: प्रकरण के तथ्य ::

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हाजा ने कोई रिपोर्ट पेश करी और कहा गया कि प्रतिप्रार्थी का मकान रोड किनारे बना हुआ है वहॉ आबादी है हैण्डपम्प लगा है पंचायत भवन आदि भी है पुरे गॉव के लोग निवासरत है।

2– यह कि किसी मधुसुदन नाम के व्यक्ति ने झुठी फर्जी शिकायत करी की उसका मकान से खेत का पानी रूकता है। उसने धारा 131 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 अनुसार राजस्व प्रकरण कं– 4/अ–13/2015–16 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील धार के समक्ष मधुसुदन बनाम बाबुलाल के नाम से वाद प्रस्तुत किया जिसमे पेशी तारीख 20–11–2017 नियत है । उस प्रकरण मे वह पानी का रास्ता चाह रहा है जबकी उसके कथनो मे स्पष्ट आया है, कि रोड़ जो प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बना है उसे स्थान पर पहले नीचली जगह थी गाडी गडार थी जिस पर से पानी नैचुरल बहाव के तहत दक्षिण से उत्तर की और निकल जाया करता था उस समय भी प्रार्थी निगरानीकर्ता बाबुलाल का मकान मौजुद था। तब पानी मकान के कारण नही रूकता था अर्थात स्पष्ट है, कि रोड बनने के कारण पानी का बहाव नैचुरल बहाव परीवर्तीत हुआ है और रोड के कारण ही रास्ता पानी का रूक रहा है। मधुसुदन के बयान की कॉपी भी इस निगरनी के साथ पेश है।

3– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति मधुसुदन की झुठी शिकायत पर से पटवारी हाजा द्वारा असत्य रिपोर्ट विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील धार जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर राजस्व प्रकरणकं– 1/अ–68/2015–16 के तहत म0प्र0 शासन बनाम बाबुलाल के नाम से मामला दर्ज हुआ जिसमे दिनांक– 6–11–2017 को पटवारी महोदय, कथन अंकित किये ... किया गया प्रतिपरीक्षण किया, किन्तु प्रतिप्रार्थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./धार/भू.रा./2017/6308 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	